

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

संख्या-3/स्था0रा0भू0बि0 4020/08-09(3)/रा0, पटना दिनांक-15/11/10

जी. एस. आर.- भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार राजस्व सेवा का गठन और उसमें भर्ती की प्रक्रिया तथा अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

अध्याय-1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।-

- (i) यह नियमावली बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 कही जा सकेगी।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (iii) यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ।- इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो,

- (क) "विभाग" से अभिप्रेत है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ;
- (ख) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार ;
- (ग) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है बिहार राज्यपाल ;
- (घ) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से अभिप्रेत है सरकार द्वारा विभागीय प्रोन्नति के लिए सम्यक् रूप से गठित समिति ;
- (ङ) "निदेशालय" से अभिप्रेत है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, भू-अर्जन निदेशालय, चकबंदी निदेशालय, कृषि गणना कार्यालय या राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधीन सम्यक् रूप से गठित कोई अन्य निदेशालय ;
- (च) "सेवा का सदस्य" से अभिप्रेत है इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन बिहार राजस्व सेवा में नियुक्त एवं शामिल व्यक्ति ;
- (छ) "ग्रेड" से अभिप्रेत है अनुसूची-1 में सूचीबद्ध कोई ग्रेड ;
- (ज) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड के सन्दर्भ में प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा सेवा के सभी उच्चतर ग्रेड या पदों के सन्दर्भ में बिहार के राज्यपाल;
- (झ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची ;
- (ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है बिहार राजस्व सेवा;
- (ट) "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष अर्थात् पहली अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि;
- (ठ) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग; तथा

(ड) "वर्ष के अन्दर रिक्ति" से अभिप्रेत है सेवा में नये पदों के सृजन, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, सेवा से हटाये जाने और पदच्युत किये जाने से किसी विशिष्ट वर्ष में उद्भूत रिक्ति।

3. सेवा का गठन, संवर्ग एवं पदों का वर्गीकरण।-

(क) इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से बिहार राजस्व सेवा का गठन किया जाता है। अनुसूची-1 में नियमित रूप में विभिन्न ग्रेड में पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति इस सेवा में शामिल होंगे।

(ख) सेवा में मंजूर पदों की संख्या और इसके विभिन्न पदों के वर्गीकरण इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची-1 में दी गयी विवरणी के अनुसार होगी :

फिर भी सरकार अनुसूची-1 को आवश्यकतानुसार पुनरीक्षित कर सकेगी और इसमें दिये गये पदों की संख्या घटा-बढ़ा सकेगी या पदों की कोई भी संख्या स्थगितावस्था में रख सकेगी तथा ग्रेड में परिवर्तन कर सकेगी।

अध्याय-2

भर्ती की प्रक्रिया एवं अनुपात

4. रिक्तियों की अवधारणा एवं आयोग को इसकी सूचना।- प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रिल को सरकार उस वर्ष अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड में सीधी भर्ती और प्रोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की गणना करेगी और उसके अनुसार सीधी नियुक्तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना आयोग को 30 अप्रिल तक प्रेषित करेगी।

5. आरक्षण।- इस सेवा में नियुक्ति एवं प्रोन्नति में सरकार द्वारा समय-समय पर अविभावी आरक्षण के प्रावधान लागू रहेंगे।

6. उम्र-सीमा।- सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष के एक अगस्त को इक्कीस वर्ष से कम नहीं होगी। अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर नियत की जाय।

7. विहित कालावधि।- सेवा के विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि वही होगी, जो राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर नियत की जाय।

8. अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड में नियुक्ति।-

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति।-

(i) अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड के 75% (पचहत्तर प्रतिशत) पदों को सीधी भर्ती से आयोग द्वारा अन्य सेवाओं के लिए निर्धारित मानदण्डों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर प्राप्त अनुशंसा के आधार पर भरा जायेगा।

(ii) सीधी नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि या अन्य समकक्ष विषय में स्नातक या स्नातक समकक्ष योग्यताधारी होना अनिवार्य होगा।

(ख) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति।—

(i) अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड के शेष 25% (पच्चीस प्रतिशत) पदों को राजस्व कर्मचारी संवर्ग से सिर्फ स्नातक या स्नातक समकक्ष योग्यताधारी राजस्व कर्मचारियों के लिए आयोग द्वारा आयोजित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर प्राप्त अनुशंसा के आधार पर भरा जायेगा।

(ii) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदक को राजस्व कर्मचारी के रूप में 10 वर्षों की सेवा एवं संपुष्ट होना आवश्यक होगा।

(iii) आवेदक को राजस्व कर्मचारी के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

9. अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में प्रोन्नति।—

(i) अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पदों को अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड के योग्यताधारी पदाधिकारियों से आपसी वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

10. भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं समकक्ष ग्रेड में प्रोन्नति।—

भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं समकक्ष ग्रेड के पदों को अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के योग्यताधारी पदाधिकारियों से वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

11. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में प्रोन्नति।—

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पदों को भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं समकक्ष ग्रेड के योग्यताधारी पदाधिकारियों से वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

12. अपर समाहर्ता, भू-हदबन्दी एवं समकक्ष ग्रेड में प्रोन्नति।—

अपर समाहर्ता, भू-हदबन्दी एवं समकक्ष ग्रेड के पदों को जिला भू-अर्जन पदाधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के योग्यताधारी पदाधिकारियों से वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

13. विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना एवं कार्य।—

(क) अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड एवं उससे ऊपर के ग्रेडों में प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना निम्न रूप होगी :-

- | | | |
|--|---|---------|
| (i) सदस्य, राजस्व पर्वद | — | अध्यक्ष |
| (ii) प्रधान सचिव/सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग | — | सदस्य |

- (iii) प्रधान सचिव/सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग — सदस्य
- (iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी — सदस्य
- (v) प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग — सदस्य सचिव
- (ख) विभागीय प्रोन्नति समिति किसी उम्मीदवार की प्रोन्नति के लिए अपेक्षित योग्यता धारित करने के संबंध में सरकार को परामर्श देगी।
- (ग) सरकार विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के आलोक में प्रोन्नति के लिए पदाधिकारियों का अंतिम चयन करने पर विचार करेगी।
- (घ) सेवा के अधिकतम वेतनमान के ग्रेड में प्रोन्नति के लिए विचारार्थ विभागीय प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्य होंगे।

अध्याय—3

परिवीक्षा एवं सम्पुष्टि

14. परिवीक्षा।—

(क) मौलिक रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्त होनेवाला प्रत्येक व्यक्ति पद ग्रहण की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा :

फिर भी जिस अवधि में कोई व्यक्ति उक्त पद पर स्थानापन्न या अस्थाई तौर पर नियुक्त रहा हो उसका अधिक से अधिक दो वर्ष परिवीक्षा अवधि में गणना की अनुमति सरकार द्वारा दी जा सकेगी।

(ख) परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर यदि किसी व्यक्ति की सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाती है, तो सरकार उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकेगी परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। बढ़ाई गई अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

(ग) नियुक्ति के बाद प्रथम वेतन वृद्धि के पश्चात् अगली वेतन वृद्धि तभी मिलेगी जब विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली जाय।

15. सम्पुष्टि।— परिवीक्ष्यमान रूप से नियुक्त व्यक्ति परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन सेवा में सम्पुष्टि का पात्र होगा:—

(i) केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित की जानेवाली विहित विभागीय परीक्षा, जिसके लिए विषयों का निर्धारण कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग तथा राजस्व पर्षद की सहमति से किया जायेगा, में उत्तीर्णता प्राप्त कर लिया हो;

(ii) समय-समय पर विहित किया जानेवाला प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और प्रशिक्षण के अन्त में, यदि परीक्षा हो, तो उसमें उत्तीर्ण हो चुका हो; एवं

(iii) इस अवधि में उसका आचरण एवं सेवा संतोषजनक रहा हो :

परन्तु नियम-3 (क) के तहत सेवा में शामिल कर्मियों के लिये विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता नहीं रहेगी।

अध्याय-4 वेतन एवं वरीयता

16. वेतन।- विभिन्न ग्रेड के पदों के वेतनमान अनुसूची-1 में दिये गए विवरण के अनुसार या समय-समय पर सरकार द्वारा पुनरीक्षित उनके समकक्ष वेतनमान के अनुसार होंगे। किसी भी वेतनमान में किसी पदाधिकारी के वेतन का निर्धारण सरकार द्वारा विहित प्रक्रियानुसार किया जायेगा।
17. वरीयता।- इस सेवा के सदस्यों की वरीयता का निर्धारण राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित सिद्धांतों एवं प्रक्रिया के अनुसार होगा।

अध्याय- 5 प्रकीर्ण

18. स्थापना संबंधी कार्यों का नियंत्रण।- इस सेवा संवर्ग के सदस्यों की नियुक्ति, प्रोन्नति, पदस्थापन, स्थानान्तरण, सेवा सम्पुष्टि, वरीयता सूची का संधारण एवं स्थापना संबंधी सभी कार्य नियुक्ति प्राधिकार के नियंत्रणाधीन होगा।
19. विनियम बनाने की शक्ति।- इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यकतानुसार विभाग विनियमावली बना सकेगा।
20. निरसन एवं व्यावृत्ति।-

बिहार कनीय राजस्व सेवा नियमावली, 2004 एतद् द्वारा निरसित की जाती है, फिर भी ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त नियमावली के तहत की गई नियुक्तियाँ या निर्गत किये गये आदेश प्रवृत्त और विधिमान्य बने रहेंगे, मानों वे इस नियमावली के समुचित उपबन्धों के अधीन निर्गत किये गये हों।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(22/15.1.10)

प्रधान सचिव,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-3/स्था0रा0भू0बि0 4020/08-.....09(3)/रा0, पटना दिनांक-15/1/10

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को (दो सी0डी0 एवं दो हार्ड कॉपी सहित) बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 500 (पाँच सौ) मुद्रित प्रतियाँ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

(22/15.1.10)

प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-3/स्था0रा0भू0बि0 4020/08-.....09(3)...../रा0, पटना दिनांक-15/1/10

प्रतिलिपि :- महामहिम राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमडलीय आयुक्त/सभी समाहर्ता/सभी विभागीय निदेशालय/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव के कोषांग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(7-21/10)
15.1.10
प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

अनुसूची-1

बिहार राजस्व सेवा में स्वीकृत पद बल

{देखें नियम-3}

(क) अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड :-

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1.	अंचल निरीक्षक	5000-8000	572
2.	अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो, भू-अभिलेख एवं परिमाण	5000-8000	72
3.	कानूनगो, भू-अर्जन	5000-8000	38
4.	सहायक चकबन्दी पदाधिकारी, चकबन्दी	5000-8000	170
5.	लीव एवं प्रशिक्षण सुरक्षित पद (चार प्रतिशत)	5000-8000	34
कुल पद			886

(ख) अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड :-

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1.	अंचल अधिकारी	6500-10500	534
2.	कार्यपालक दंडाधिकारी	6500-10500	147
3.	सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी	6500-10500	60
4.	चकबन्दी पदाधिकारी	6500-10500	60
कुल पद			801

(ग) भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं समकक्ष ग्रेड :-

क्र०सं०	पदों के नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1.	भूमि सुधार उप समाहर्ता	8000-13500	101
2.	सहायक निदेशक (कृषि गणना)	8000-13500	03
3.	सहायक निदेशक, सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग	8000-13500	02
4.	अनुदेशक, चकबन्दी प्रशिक्षण संस्थान, पटना	8000-13500	03
5.	अनुदेशक, सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, गया	8000-13500	07
6.	शोध पदाधिकारी, चकबन्दी निदेशालय	8000-13500	01
7.	अपर अनुमण्डल पदाधिकारी, भू-हदबन्दी	8000-13500	03
8.	अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी	8000-13500	14
कुल पद			134

15/11/2

(घ) जिला भू-अर्जन पदाधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड :-

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1.	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी	10000-15200	38
2.	विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग	10000-15200	10
3.	सहायक निदेशक, चकबन्दी	10000-15200	14
4.	उप निदेशक, कृषि गणना	10000-15200	01
5.	सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय	10000-15200	01
6.	उप निदेशक, सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग	10000-15200	01
कुल पद			65

(ङ) अपर समाहर्ता, भू-हदबन्दी एवं समकक्ष ग्रेड :-

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1.	अपर समाहर्ता, भू-हदबन्दी	12000-16500	15
2.	प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोवस्त	12000-16500	09
3.	उप निदेशक, चकबन्दी	12000-16500	15
4.	प्राचार्य, चकबन्दी प्रशिक्षण संस्थान, पटना	12000-16500	01
5.	प्राचार्य, सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, गया	12000-16500	01
6.	संयुक्त निदेशक, कृषि गणना	12000-16500	01
कुल पद			42

अर्जित
15-1-19